

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर


क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/

दिनांक :

आदेश

श्रीमती शकुन्तला रावत (RJDH199814012744), महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि जिला कलक्टर, धौलपुर के आदेश 1175 दिनांक 16.03.2018 एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमथुरा, धौलपुर के कार्यालय आदेश 408-410 दिनांक 17.03.2018 की पालना में दिनांक 20.03.2018 से 'अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में' निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर रही हैं, का पदस्थापन आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करीरी गाजीपुर खण्ड टोडाभीम (करौली) में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर किया जाता है।

श्रीमती रावत को आज कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत करें।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर


क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/319

दिनांक : 05/04/2018

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर, धौलपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग-भरतपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर/करौली।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
8. श्रीमती शकुन्तला रावत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पालनार्थ।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

10. प्रभारी एवं 222, मुख्यालय
देवनागर पर अदालत हेतु


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर